# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– **रमेश देव** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक

**नम्बर मुकदमा** – 375/2022

निर्णय दिनांक:–

प्रदीप सिह पुत्र गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 पवनदीप कौर पुत्री गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

## निर्णय

सहायक कलैक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी ★ संगरिया जिला हनुमानगढ ★

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी एवं प्रति स. 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है।प्रति स. 1 वादी व प्रति स. 2 का पिता है।वादी के पिता प्रति स. 1 के नाम चक 15 ए.एम.पी.. खाता स. 24/22 खाता गुरमीत सिह ज.स. 2072–75 में कुल 5.060है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनके वारिस उनके पुत्र वादी व उनकी पुत्री प्रति स. 2 ही है। प्रति स. 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी व प्रति स. 1 के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 2 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रति स. 1 ने घरू बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादी के हिस्सा में 3.795 है0 आराजी आई है। शेष आराजी प्रति स. 1 के ही कब्जाकाश्त की है।उक्त आराजी उक्तानुसारं वादी के नाम अंकन किया जाकर प्रति स. 1 का हिस्साा कम किया जावे। वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से अकन करवा देव ता इस पर पहले तो व टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः प्रति स. 1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह के नाम दर्ज चक 15 ए.एम.पी. खाता स. 24/22 खाता गुरमीत सिह ज.स. 2072–75 मे दर्ज आराजी में से 3.795 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रति स. 1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह का हिस्सा कम किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रति स. 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।प्रतिस. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी प्रदीप सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी. सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी मुताबिक बंटवारा वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति जमाबन्दी चक 15 ए.एम.पी.. खाता स. 24/22 खाता गुरमीत सिह ज.स. 2072–75 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रति स. 1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह के नाम दर्ज चक 15 ए.एम.पी. खाता स. 24/22 खाता गुरमीत सिह ज.स. 2072–75 में दर्ज आराजी में से 3.795 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रति स. 1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह का हिस्सा कम किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निज.....✗..... मुब्लिक.....✗..... बाबत.....✗.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....✗..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-9-22 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

सहायक कलैक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी ★ सांगरिया जिला हनुमानगढ़ ★

14/9/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
अज अदालत – रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रदीप सिह पुत्र गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 पवनदीप कौर पुत्री गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

**मु. स . 375/2022 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादी व श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रति स. 1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह के नाम दर्ज चक 15 ए.एम.पी.. खाता स. 24/22 खाता गुरमीत सिह ज.स. 2072–75 में दर्ज आराजी में से 3.795 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रति स. 1 गुरमीत सिह पुत्र नरोतम सिह का हिस्सा कम किया जावे।

निज ..X.. मुब्लिक ..X.. बाबत ..X.. खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..X.. को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-9-22 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

14/9/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया